संघ लोक सेवा आयोग — सिविल सेवा परीक्षा

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र IV

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि

मास्टर नोट्स

खंड IV / IV

50 संभावित मॉडल प्रश्न-उत्तर (परीक्षा शब्द-सीमा)

मेंस-केंद्रित · PYQ-आधारित · पाठ्यक्रम-संगत · तथ्य-सत्यापित

प्रारंभिक + मुख्य + निबंध + साक्षात्कार एकीकृत

अद्यतन: जून 2026

UPSC GS-IV पाठ्यक्रम एवं नवीनतम परीक्षा प्रवृत्ति (CSE 2024 सहित) के अनुरूप

Table of Contents

UPSC सिविल सेवा — GS प्रश्नपत्र IV: नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि — मास्टर नोट्स (खंड 4/4): 50 संभावित मॉडल प्रश्न-उत्तर (परीक्षा शब्द-सीमा में)

इस खंड का विषय: पूरे GS-IV पाठ्यक्रम पर 50 उच्च-संभावना मॉडल प्रश्न, प्रत्येक का उत्तर परीक्षा शब्द-सीमा में — सैद्धांतिक प्रश्न ~150 शब्द (10 अंक), केस/विश्लेषणात्मक प्रश्न ~250 शब्द (15/20 अंक)। उत्तर परिभाषा → बहु-आयाम/मूल्य → वास्तविक उदाहरण → संतुलित निर्णय के टॉपर-ढाँचे में लिखे गए हैं, तथा CSE 2024/2023 की प्रवृत्ति व सत्यापित समसामयिक तथ्यों (जून 2026 तक) से जुड़े हैं।

उपयोग कैसे करें: पहले स्वयं उत्तर लिखें, फिर इस मॉडल से मिलान करें — कीवर्ड, ढाँचा, उदाहरण व निष्कर्ष पर ध्यान दें।

अ. नीतिशास्त्र एवं मानवीय अंतरापृष्ठ (प्र1–8)

प्र1. नीति, नैतिकता व मूल्य में भेद कीजिए। यह भेद सिविल सेवक के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है? (150 शब्द)

नैतिकता सही-गलत के बारे में समाज/व्यक्ति की धारित मान्यताएँ हैं; नीति उन मान्यताओं पर विवेकपूर्ण चिंतन व उनका औचित्य-निर्धारण है; मूल्य वांछनीय के बारे में स्थायी विश्वास (ईमानदारी, समता) हैं। नैतिकता "मानचित्र" है, नीति "मानचित्र-निर्माण का विज्ञान", और मूल्य वह दिशा-सूचक जो बताता है क्या अनुसरणीय है।

सिविल सेवक के लिए यह भेद निर्णायक है। उसे विरासत में मिली सामाजिक नैतिकता (जैसे जातिगत प्रथा) को नीतिशास्त्रीय व संवैधानिक जाँच से परखना होता है — कोई प्रथा सामाजिक रूप से स्वीकृत हो सकती है फिर भी अनैतिक (अस्पृश्यता)। मूल्य उसके विवेकाधिकार को आधार देते हैं, नीति बताती है कि परस्पर विरोधी मूल्यों (करुणा बनाम नियम) में कैसे चुनें।

अतः अधिकारी संवैधानिक नैतिकता के प्रति निष्ठ रहे — व्यक्तिगत या बहुसंख्यक नैतिकता पर नहीं। यही भेद उसे प्रथा का अनुयायी नहीं, बल्कि न्याय व समता का संरक्षक बनाता है।

प्र2. "मानवीय कार्यों में नीति का सार उसके आशय में है, परिणाम में नहीं।" परीक्षण कीजिए। (150 शब्द)

नीति का सार किसी कार्य का आंतरिक नैतिक गुण है, और एक प्रबल परंपरा इसे आशय/इच्छा में स्थित करती है। कांट के अनुसार बिना शर्त एकमात्र भला "सद्भावना" है; सही कारण से कर्तव्य-भाव से किया कार्य ही नैतिक मूल्य रखता है। केवल मानवीय कार्य (स्वैच्छिक, सविवेक) नैतिक हैं; मनुष्य के कार्य (अनैच्छिक) तटस्थ।

किंतु आशय अकेला अपर्याप्त है। परिणामवाद (मिल) कहता है कि सही का सार परिणामों में है — सार्वजनिक नीति लागत-लाभ व कल्याण पर टिकती है। शुभ आशय से किया कार्य यदि लापरवाही से जन-हानि करे, तो वह नैतिक रूप से दोषमुक्त नहीं।

संतुलित दृष्टि: किसी कार्य की नैतिकता उसके विषय, आशय व परिस्थितियों तीनों पर निर्भर है। सिविल सेवक को साधनों की शुद्धता (आशय/कर्तव्य) व साध्यों की भलाई (परिणाम) दोनों तौलने चाहिए, अरस्तू की फ्रोनेसिस से एकीकृत करते हुए। आशय आधार है, पर उत्तरदायी प्रशासन परिणामों की भी उपेक्षा नहीं कर सकता।

प्र3. नीति के निर्धारकों की चर्चा कीजिए। क्या अंतःकरण सर्वाधिक विश्वसनीय निर्धारक है? (150 शब्द)

नीति के निर्धारक आचरण की नैतिक दिशा को आकार देते हैं: आंतरिक — अंतःकरण, मूल्य, विवेक, EI; बाह्य — परिवार, समाज, धर्म, शिक्षा, कानून, संहिताएँ, नेतृत्व व नैतिक वातावरण।

अंतःकरण के पक्ष में: यह स्वायत्त है — तब भी कार्य करता है जब कोई न देखे व कोई दंड न हो, ठीक वहीं जहाँ सत्यनिष्ठा की परीक्षा होती है; जहाँ नियम मौन हों वहाँ यही मार्गदर्शक है। गांधी की सविनय अवज्ञा इसका उदाहरण है।

किंतु अंतःकरण त्रुटिशील है — पूर्वाग्रह से कुशिक्षित, स्वार्थ से दूषित हो सकता है; एक जातिवादी "अंतःकरण" कोई मार्गदर्शक नहीं। कानून सामूहिक प्रज्ञा, समानता व जवाबदेही देता है।

अतः अंतःकरण अपरिहार्य है पर अकेला अचूक नहीं। यह तब सर्वाधिक विश्वसनीय है जब विवेक से शिक्षित व संवैधानिक नैतिकता में आबद्ध हो। उचित पदानुक्रम: सामान्यतः कानून/नियम का पालन; धूसर क्षेत्रों में संवैधानिक मूल्यों से निर्देशित अंतःकरण; और स्पष्टतः अन्यायपूर्ण आदेश पर विधिसम्मत असहमति, अंध-आज्ञापालन नहीं।

प्र**4. "**अधिकांश प्रशासनिक दुविधाएँ निजी व सार्वजनिक नैतिकता का संघर्ष हैं।" उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। **(150** शब्द**)**

निजी नैतिकता स्नेह, निष्ठा व देखभाल द्वारा शासित होती है, जहाँ पक्षपात अनुमत है (कोई अपने बच्चे को वरीयता दे सकता है)। सार्वजनिक नैतिकता निष्पक्षता, समता व विधि-शासन द्वारा शासित है, जहाँ पक्षपात निषिद्ध है (अनु. 14)।

अधिकांश दुविधाएँ इन्हीं के टकराव से उठती हैं: निविदा में परिजन की बोली (हित-संघर्ष); व्यक्तिगत धार्मिक मान्यता बनाम किसी वैध अधिकार का प्रवर्तन; मित्र अधिकारी के विरुद्ध जाँच। भाई-भतीजावाद व पक्षपात ठीक यही विफलता हैं — दोनों क्षेत्रों को अलग न रख पाना।

समाधान सिद्धांत: सार्वजनिक भूमिका में संवैधानिक नैतिकता व पद की शपथ व्यक्तिगत नैतिकता पर वरीयता रखती हैं। उदाहरण: निविदा में परिजन की बोली पर अधिकारी हित-संघर्ष घोषित कर स्वयं को अलग **(recuse)** कर ले। निजी मूल्य निर्णय को सूचित कर सकते हैं पर सार्वजनिक निर्णय पर कब्ज़ा नहीं। प्रतिवर्त: भूमिका पहचानें, फिर जनहित, निष्पक्षता व विधि-शासन लागू करें — निजी आयाम को मानवीय ढंग से संभालते हुए।

प्र**5. "**मूल्य सिखाए नहीं**,** ग्रहण किए जाते हैं।" परिवार**,** समाज व शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। **(150** शब्द**)**

मूल्य स्पष्ट उपदेश से अधिक उदाहरण व परिवेश से आत्मसात होते हैं। परिवार — प्रथम पाठशाला — बड़ों से तादात्म्य द्वारा सत्य, समानुभूति व अनुशासन संप्रेषित करता है; उसका प्रेम व आदर्श-प्रस्तुति गहनतम नैतिक नींव बनाते हैं। समाज — सहकर्मी, समुदाय, मीडिया, धर्म — मानदंडों, आदर्श-व्यक्तियों व सामाजिक अनुमोदन से मूल्यों को सुदृढ़ या पुनर्आकार देता है; यह नागरिक-बोध पैदा कर सकता है या भ्रष्टाचार को सामान्य बना सकता है। शैक्षणिक संस्थान औपचारिक नैतिक विवेक, संवैधानिक मूल्य व वैज्ञानिक दृष्टिकोण जोड़ते हैं, पर "गुप्त पाठ्यचर्या" (शिक्षक-आचरण, विद्यालय-संस्कृति) प्रायः पाठ्यपुस्तकों से अधिक सिखाती है; **NEP 2020** चरित्र व मूल्य-शिक्षा पर बल देती है।

तीनों पूरक हैं: एक में कमी की भरपाई अन्यों से होनी चाहिए। अतः मूल्य-आधारित समाजीकरण, मात्र उपदेश नहीं, एक नैतिक नागरिकता व ईमानदार प्रशासन की दीर्घकालिक नींव है।

प्र**6.** महात्मा गांधी के जीवन से एक सिविल सेवक कौन**-**सी तीन प्रमुख सीख ले सकता है**? (150** शब्द**)**

पहली — साधन**-**साध्य की शुद्धता**:** गांधी का "साधन ही सब कुछ है" अधिकारी को सिखाता है कि अच्छा साध्य (विकास, भ्रष्टाचार-नियंत्रण) दूषित साधन (छल, बल-दुरुपयोग) को न्यायोचित नहीं ठहराता; पुनर्वास-सहित विध्वंस शुद्ध साधन है, रात्रि में बिना सूचना नहीं।

दूसरी — अंत्योदय/जंतर: "सबसे गरीब का चेहरा याद करो" — हर निर्णय को सबसे कमज़ोर पर उसके प्रभाव से परखो। यह नीति-निर्माण व संसाधन-आवंटन का नैतिक दिक्सूचक है।

तीसरी — न्यासधारिता व उदाहरण से नेतृत्व**:** पद व शक्ति समाज हेतु न्यास हैं, निजी लाभ का साधन नहीं; "वह बदलाव बनो जो देखना चाहते हो" — अधिकारी का स्वयं का आचरण अधीनस्थों व नागरिकों के लिए मानक बनता है।

इनके साथ सत्य, अहिंसा व निर्भयता मिलकर सिविल सेवक को सत्यनिष्ठ**,** करुणामय व साहसी बनाते हैं — गांधी का सर्वोदय इन्हीं का सामूहिक लक्ष्य है।

प्र**7.** नीतिशास्त्र के आयामों को समझाइए तथा बताइए कि ये व्यावसायिक निर्णयन को कैसे आकार देते हैं। **(CSE 2024, 150** शब्द**)**

नीति कई आयामों से कार्य करती है। वर्णनात्मक नीति प्रचलित मान्यताएँ अभिलेखित करती है; आदर्शात्मक नीति तीन दृष्टियों से बताती है कि कैसे कार्य करें — परिणामवाद (परिणामों से), कर्तव्यवाद (कर्तव्य/नियम से), सद्गुण नीति (चरित्र से); अधि-नीति नैतिक शब्दों का अर्थ परखती है; व्यावहारिक नीति प्रशासनिक, जैव व पर्यावरणीय क्षेत्रों को संबोधित करती है। व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक व संवैधानिक अक्ष इसे और संरचित करते हैं।

व्यावसायिक संदर्भ में ये आयाम निर्णयों को ठोस रूप देते हैं: अधिकारी परिणाम (कल्याण-अधिकतमीकरण) तौलता है, कर्तव्य व अधिकार (विधि-शासन, गरिमा) का सम्मान करता है, और सद्गुण (सत्यनिष्ठा, फ्रोनेसिस) से कार्य करता है। व्यावसायिक संहिताएँ मार्गदर्शन देती हैं, संवैधानिक नैतिकता विवेक को आधार। संतुलित निर्णय तीनों दृष्टियों को एकीकृत करता है — अच्छे साध्य को न्यायपूर्ण साधन से, सद्चरित्र द्वारा — जिससे विकल्प मात्र वैध नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण व मानवीय होते हैं।

प्र**8. "**कानून नैतिकता का न्यूनतम है**,** अधिकतम नहीं।" चर्चा कीजिए। **(150** शब्द**)**

कानून राज्य-प्रवर्तित, दंड-समर्थित आचरण का संहिताबद्ध न्यूनतम है — वह बताता है क्या अवश्य या नहीं करना; नीति अंतःकरण व सामाजिक अनुमोदन द्वारा समर्थित व्यापक आदर्श है — वह बताती है क्या करना चाहिए।

दोनों में अतिव्यापन है पर वे अलग भी होते हैं: कुछ वैध कार्य अनैतिक हो सकते हैं (वैध किंतु शोषणकारी अनुबंध), और कुछ नैतिक कार्य अवैध (सविनय अवज्ञा)। कानून हर स्थिति को नहीं ढक सकता और कभी नैतिकता से पीछे रहता है; जहाँ नियम मौन हों वहाँ नीति-विवेक कार्यभार लेता है।

अभिशासन के लिए निहितार्थ: मात्र कानूनी अनुपालन फर्श है; ईमानदार सेवा छत की माँग करती है। एक अधिकारी जो केवल पकड़े जाने के भय से भ्रष्टाचार से बचता है, कानूनी रूप से निर्दोष पर नैतिक रूप से समझौता-ग्रस्त है। यही कारण है कि दूसरे ARC ने आचरण संहिता के साथ नैतिक संहिता का आग्रह किया। सुशासन हेतु कानून आवश्यक है, पर पर्याप्त नहीं — उसे आत्मसातीकृत मूल्यों से अनुप्राणित होना चाहिए।

ब. अभिवृत्ति (प्र9–13)
प्र**9.** अभिवृत्ति क्या है**?** इसका निर्माण व परिवर्तन कैसे होता है**? (150** शब्द**)**
अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति सीखी हुई, अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकनात्मक प्रवृत्ति है (ऑलपोर्ट: "तत्परता की अवस्था जो प्रतिक्रिया पर निर्देशात्मक प्रभाव डालती है")। इसकी संरचना **ABC** मॉडल से होती है — भावात्मक (भावनाएँ), व्यवहारात्मक (कार्य-प्रवृत्ति), संज्ञानात्मक (विश्वास)।
निर्माण: अधिगम से — चिरसम्मत अनुकूलन (साहचर्य), क्रियात्मक अनुकूलन (पुरस्कार/दंड), व प्रेक्षणात्मक अधिगम (बंडुरा — प्रशंसितों की नकल); प्रत्यक्ष अनुभव; परिवार, सहकर्मी, मीडिया द्वारा समाजीकरण; तथा मात्र-अनावरण प्रभाव।
परिवर्तन: अनुनय (येल मॉडल; पेटी-कैसियोपो का केंद्रीय बनाम परिधीय मार्ग), संज्ञानात्मक असंगति (फेस्टिंगर — असंगति की बेचैनी अभिवृत्ति बदलवाती है), तथा सामाजिक प्रभाव।
अभिशासन में, स्वच्छ भारत व टीकाकरण जैसे व्यवहार-परिवर्तन अभियानों को अभिवृत्ति, सामाजिक मानदंड व अनुभूत नियंत्रण को एक साथ लक्षित करना चाहिए

— अकेली सूचना शायद ही व्यवहार बदलती है।

प्र**10.** नैतिक व राजनीतिक अभिवृत्ति में अंतर कीजिए। सिविल सेवक को बाद वाली को संवैधानिक कर्तव्य के अधीन क्यों रखना चाहिए**? (150** शब्द**)**

नैतिक अभिवृत्ति सही-गलत की धारणा में आधारित मूल्यांकनात्मक रुझान है — न्याय, ईमानदारी, हानि से संबंधित; इसे सार्वभौमिक व वस्तुनिष्ठ अनुभव किया जाता है ("यह बस गलत है") और यह व्यवहार का प्रबल पूर्वसूचक है। राजनीतिक अभिवृत्ति राज्य, विचारधाराओं, दलों व नीतियों के प्रति रुझान है — अधिक खुले रूप से विवादित, हित-युक्त व बहुलवादी।

सिविल सेवक को राजनीतिक अभिवृत्ति निजी व संवैधानिक कर्तव्य के अधीन रखनी चाहिए क्योंकि उसका मूल मूल्य गैर-पक्षधरता व राजनीतिक तटस्थता है (अनु. 14, सेवा-नियम)। प्रबल पक्षधर अभिवृत्ति निष्पक्षता को क्षरित करती है, "प्रतिबद्ध नौकरशाही" को जन्म देती है, और तत्कालीन सरकार की निष्ठापूर्वक सेवा करने व उत्तराधिकारी सरकार की समान सेवा करने की क्षमता को नष्ट करती है।

आधुनिक अधिकारी मूल्य-तटस्थ नहीं — वह संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए राजनीतिक रूप से गैर-पक्षधर रहता है। टी.एस.आर. सुब्रमण्यम (2013) के सुरक्षोपाय (निश्चित कार्यकाल, मौखिक आदेशों का अभिलेखन) इसी तटस्थता की रक्षा करते हैं।

प्र**11.** अनुनय व चालाकी में नैतिक रेखा क्या है**?** अभिशासन-संप्रेषण के संदर्भ में। **(150** शब्द**)**

अनुनय विवेक व सत्यापित साक्ष्य से अपील करता है, अपने उद्देश्य के प्रति पारदर्शी है, और नागरिक को निर्णय हेतु स्वतंत्र छोड़ता है — पेटी-कैसियोपो के केंद्रीय मार्ग से टिकाऊ, सूचित परिवर्तन लाता है। यह नागरिकों को विवेकशील अभिकर्ता मानता है (कांट का साध्य, साधन नहीं)।

चालाकी विवेक को दरकिनार करती है — भय-प्रसार, छल, छिपे एजेंडे, सूक्ष्म-लक्षित दुष्प्रचार या संज्ञानात्मक-अभिनति शोषण से। यह अनुपालन ला सकती है, पर स्वायत्तता, विश्वास व सत्य की कीमत पर; प्रचार व फ़र्ज़ी-समाचार इसके चरम रूप हैं।

व्यवहारवादी नज एक सावधान मध्य-स्थिति में हैं: थेलर-सनस्टीन का उदारवादी पितृत्ववाद तभी नैतिक है जब नज पारदर्शी, कल्याण-वर्धक व स्वतंत्र-विकल्प-रक्षक हों (जैसे लाभकारी योजना में डिफ़ॉल्ट नामांकन)।

सिविल सेवक हेतु रेखा स्पष्ट है: अभिशासन-संप्रेषण ईमानदार, साक्ष्य-आधारित व नागरिक-स्वतंत्रता-सम्मानी हो। जो सरकार अनुनय करती है वह लोकतांत्रिक विश्वास सुदृढ़ करती है; जो चालाकी करती है वह उसी वैधता का क्षरण करती है जिसे वह खोजती है।

प्र**12.** सामाजिक प्रभाव के रूपों की चर्चा कीजिए। मिलग्राम के प्रयोग से एक अधिकारी क्या सीखता है**? (150** शब्द**)**

सामाजिक प्रभाव के रूप: अनुरूपता (समूह-मानदंडों के अनुसार झुकना — ऐश); अनुपालन (किसी अनुरोध को मानना — सियाल्दिनी); आज्ञापालन (प्राधिकार का अनुसरण — मिलग्राम); तथा आंतरिकीकरण (वास्तविक निजी स्वीकृति) व तादात्म्य (प्रशंसितों के विचार अपनाना)। लोग मानक प्रभाव (स्वीकृति की चाह) व सूचनात्मक प्रभाव (सही होने की चाह) के कारण अनुरूपता दिखाते हैं।

मिलग्राम का सबक: उनके शॉक-प्रयोग ने दिखाया कि सामान्य लोग अन्यायपूर्ण प्राधिकार की आज्ञा मानते हैं, "मैं केवल आदेश का पालन कर रहा था" के पीछे उत्तरदायित्व-विसरण करते हुए। एक अधिकारी के लिए यह गंभीर चेतावनी है: अवैध या अनैतिक आदेश का पालन व्यक्तिगत नैतिक उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करता (न्यूरेम्बर्ग सिद्धांत; आरेंट की "बुराई की साधारणता")।

प्रतिकारक है — आदेश लिखित में माँगना, असहमति अभिलेखित करना, और स्पष्टतः अवैध आदेश का विधिसम्मत इनकार। नैतिक साहस व व्हिसलब्लोअर-तत्परता वह ढाल है जो अंध-आज्ञापालन को रोकती है।

प्र**13.** "अभिवृत्तियाँ सदा व्यवहार में परिवर्तित नहीं होतीं।" अभिवृत्ति–व्यवहार अंतराल के निहितार्थ की जाँच कीजिए। **(150** शब्द**)**

लापिएर के अध्ययन **(1934)** ने दिखाया कि घोषित अभिवृत्ति (पूर्वाग्रह) प्रायः वास्तविक व्यवहार से मेल नहीं खाती — यही अभिवृत्ति–व्यवहार अंतराल है। नियोजित व्यवहार सिद्धांत **(**अज़ेन**)** के अनुसार व्यवहार की सर्वोत्तम भविष्यवाणी आशय से होती है, जो अभिवृत्ति, सामाजिक मानदंड व अनुभूत नियंत्रण पर निर्भर है। अभिवृत्तियाँ तब व्यवहार की भविष्यवाणी करती हैं जब वे प्रबल, विशिष्ट, सुलभ व परिस्थितिजन्य बाधाओं से मुक्त हों।

अभिशासन के लिए निहितार्थ गहरा है: व्यवहार-परिवर्तन अभियान (शौचालय-उपयोग, टीकाकरण, कर-अनुपालन) केवल जागरूकता पर नहीं टिक सकते — लोग सही अभिवृत्ति रखते हुए भी पुराने व्यवहार पर बने रह सकते हैं। सफल कार्यक्रम को अभिवृत्ति**,** सामाजिक मानदंड व अनुभूत-नियंत्रण तीनों को संबोधित करना चाहिए — जैसे नज, सामाजिक प्रमाण, सुलभता बढ़ाना व बाधाएँ हटाना।

अतः प्रशासक को मानना चाहिए कि सूचना आवश्यक पर अपर्याप्त है; व्यवहार-विज्ञान आधारित अभिकल्प ही अभिवृत्ति को कार्य में बदलता है।

स. अभिरुचि एवं बुनियादी मूल्य (प्र14–19)

प्र**14.** सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का केंद्रीय मूल्य क्यों है**? (150** शब्द**)**

सत्यनिष्ठा मूल्यों, शब्दों व कार्यों में संगति तथा उपरांत-सत्यपरायणता है — "तब भी सही करना जब कोई न देख रहा हो।" यह सिविल सेवा का केंद्रीय मूल्य है क्योंकि अधिकारी अधिकारों, संसाधनों व जीवन पर विशाल, प्रायः अनिगरानीकृत विवेकाधिकार रखते हैं।

इसकी केंद्रीयता तीन-स्तरीय है। पहला, यह जन-विश्वास की नींव है: नागरिक राज्य का प्राधिकार तभी स्वीकारते हैं जब उन्हें विश्वास हो कि शक्ति ईमानदारी से प्रयुक्त

होती है। दूसरा, यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध दीवार है — संहिताएँ हर स्थिति की कल्पना नहीं कर सकतीं; केवल आत्मसातीकृत सत्यनिष्ठा तब टिकती है जब निगरानी शिथिल हो। तीसरा, यह निष्पक्षता व वस्तुनिष्ठता की पूर्वशर्त है।

समसामयिक उपकरण — संपत्ति-घोषणा, DBT, GeM, फेसलेस मूल्यांकन — समझौते के अवसर घटाते हैं, पर चरित्र के पूरक हैं, स्थानापन्न नहीं। दूसरे ARC ने सत्यनिष्ठा को अभिशासन के केंद्र में रखा व ईमानदार अधिकारियों की रक्षा का आग्रह किया। जैसा कौटिल्य जानते थे, तंत्र को प्रलोभन मानकर चलना चाहिए — पर सत्यनिष्ठा ही अधिकारी को तब विश्वसनीय बनाती है जब तंत्र की आँखें बंद हों।

प्र15. निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता व गैर-पक्षधरता में भेद कीजिए। (150 शब्द)

ये तीनों परस्पर संबंधित किंतु भिन्न बुनियादी मूल्य हैं। निष्पक्षता सभी व्यक्तियों से समान व्यवहार व किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह (जाति, धर्म, लिंग, व्यक्तिगत) के अभाव को कहती है — यह समता **(अनु. 14–16)** से प्रवाहित होती है और व्यक्तियों के व्यवहार से संबंधित है।

वस्तुनिष्ठता निर्णय के आधार से संबंधित है — तथ्य, साक्ष्य व गुणावगुण पर निर्णय, व्यक्तिगत भावनाओं या बाह्य दबाव से मुक्त। यह निष्पक्षता का साधन है; नोलन सिद्धांत के अनुसार निर्णय "सर्वोत्तम साक्ष्य के आधार पर, बिना भेदभाव" हों।

गैर-पक्षधरता विशेषतः राजनीतिक क्षेत्र में निष्पक्षता है — किसी दल का पक्ष न लेना, तत्कालीन सरकार की जिस भी रंग की हो निष्ठापूर्वक सेवा करना।

संक्षेप में: निष्पक्षता = सर्व-पूर्वाग्रह-मुक्त व्यवहार; वस्तुनिष्ठता = तथ्य/गुणावगुण-आधारित निर्णय; गैर-पक्षधरता = राजनीतिक तटस्थता। तीनों परस्पर निर्भर हैं — वस्तुनिष्ठ आधार के बिना निष्पक्ष व्यवहार असंभव, और राजनीतिक दबाव दोनों को क्षरित करता है।

प्र16. "समानुभूति बिना निष्पक्षता पक्षपात है; निष्पक्षता बिना समानुभूति क्रूरता है।" कमज़ोर वर्गों की सेवा के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (150 शब्द)

विविध व असमान समाज की सेवा में अधिकारी को समानुभूति व निष्पक्षता में संतुलन रखना होता है; अकेले दोनों विफल होते हैं।

समानुभूति बिना निष्पक्षता पक्षपात बन जाती है: एक करुण मामले से इतना द्रवित होना कि किसी प्रिय हेतु नियम तोड़ें या संसाधन मोड़ें, समान रूप से पात्र अन्यों के साथ अन्याय है; अनु. 14 ऐसी चयनात्मक कृपा निषिद्ध करता है।

निष्पक्षता बिना समानुभूति क्रूरता बन जाती है: नियमों को यांत्रिक रूप से लागू करना — "चेहरों पर फाइलें" — निरक्षर विधवा या दिव्यांग पेंशनभोगी के प्रति उदासीन, कर्तव्य का अक्षर तो पूरा करता है पर उसकी आत्मा का उल्लंघन। नौकरशाही उदासीनता एक वास्तविक क्रूरता है।

संश्लेषण है "समानुभूतिपूर्ण दृढ़ता" — नियमों को समान रूप से किंतु मानवीय ढंग से लागू करना। समानुभूति मार्गदर्शन देती है कि नियम कैसे लागू हो (धैर्य, सरल प्रक्रिया, हेल्प-डेस्क), निष्पक्षता सुनिश्चित करती है कि नियम सब पर समान लागू हो। कमज़ोर वर्गों हेतु यह अनु. 38, 39, 46 व गांधी के जंतर से प्रबलित होता है।

प्र17. लोक-सेवा अभिप्रेरणा (Public Service Motivation) क्या है? इसे कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है? (150 शब्द)

लोक-सेवा अभिप्रेरणा जनहित की सेवा की आंतरिक प्रेरणा है — व्यक्तिगत लाभ या बाह्य पुरस्कार के बजाय नागरिक-कल्याण के प्रति समर्पण। यह "नौकरी" को "ध्येय" में बदलती है और अधिकारी को कठिन, कृतघ्न तैनातियों (जनजातीय, नक्सल, आपदा क्षेत्र) में टिकाती है। इसका दार्शनिक आधार गांधी की न्यासधारिता, विवेकानंद की "सेवा ही पूजा" व अंत्योदय में है।

सुदृढ़ीकरण: (1) भर्ती में मूल्य-आधारित चयन व प्रशिक्षण (LBSNAA, मिशन कर्मयोगी — जिसका iGOT मंच 2024 तक 1 करोड़ पंजीकृत सिविल सेवक पार कर चुका); (2) नैतिक नेतृत्व व "शीर्ष का स्वर"; (3) ईमानदार अधिकारियों की रक्षा व मान्यता (PM उत्कृष्टता पुरस्कार, सिविल सेवा दिवस); (4) सार्थक स्वायत्तता व निश्चित कार्यकाल जो पहल को पुरस्कृत करें; (5) नागरिकों से सीधा संपर्क जो उद्देश्य-बोध जगाए।

जब अधिकारी अपने कार्य के मानवीय प्रभाव को देखता है, अभिप्रेरणा आत्म-पुनर्भरित होती है। संस्थागत संस्कृति जो सत्यनिष्ठा को पुरस्कृत व भ्रष्टाचार को दंडित करे, इस अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम संरक्षक है।

प्र18. आपके अनुसार एक सिविल सेवक हेतु तीन सर्वाधिक आवश्यक बुनियादी मूल्य कौन-से हैं? तर्क दीजिए। (150 शब्द)

यद्यपि सभी बुनियादी मूल्य परस्पर निर्भर हैं, मैं सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता व समानुभूति को आधारभूत मानता हूँ।

सत्यनिष्ठा सर्वप्रथम है — यह वह मिट्टी है जिसमें शेष सब उगते हैं; इसके बिना सक्षमता भी खतरनाक है, क्योंकि विवेकाधिकार बिना सत्यनिष्ठा भ्रष्टाचार बन जाता है। यह जन-विश्वास की नींव है।

निष्पक्षता दूसरी है — यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक शक्ति समता से प्रयुक्त हो, पक्षपात या राजनीतिक दबाव के बिना; अनु. 14 की सारभूत समता इसी पर टिकती है। यह नागरिक-विश्वास व विधि-शासन की पूर्वशर्त है।

समानुभूति तीसरी है — यह प्रशासन को नागरिक-केंद्रित व गरिमामय बनाती है, विशेषकर कमज़ोर वर्गों हेतु, और नौकरशाही उदासीनता का प्रतिकार करती है; यह संविधान के कल्याण-अधिदेश (अनु. 38–46) को जीवंत करती है।

ये तीनों मिलकर सत्यनिष्ठ, निष्पक्ष व करुणामय अधिकारी बनाते हैं — जो सही, न्यायपूर्ण व मानवीय कार्य करता है। वस्तुनिष्ठता, समर्पण व साहस इन्हीं से प्रवाहित होते हैं।

प्र19. "भावनात्मक बुद्धिमत्ता, न कि IQ, प्रभावी प्रशासक को विशिष्ट बनाती है।" उदाहरण सहित परीक्षण कीजिए। (150 शब्द)

प्रशासन मूलतः मानवीय उद्यम है — दबाव, अभाव व संघर्ष के बीच लोगों के साथ। IQ प्रवेश दिलाता है, पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता **(EI)** प्रभावशीलता तय करती है। गोलमैन के पाँच घटक प्रशासनिक जीवन पर सीधे लागू होते हैं: आत्म-जागरूकता क्रोध/पूर्वाग्रह को कार्य से पूर्व पहचानती है; आत्म-नियमन तनावपूर्ण जन-सुनवाई या आंदोलन में निर्णय शांत व निष्पक्ष रखता है; अभिप्रेरणा कठिन तैनाती में समर्पण टिकाती है; समानुभूति शिकायत-निवारण को संवेदनशील बनाती है; सामाजिक कौशल सांप्रदायिक तनाव व विवाद सुलझाते हैं। एक DM जो सांप्रदायिक तनाव EI से शांत करता है, IQ नहीं, EI का प्रयोग कर रहा है।

किंतु दावा सीमित करना होगा: EI समर्थक है, स्थानापन्न नहीं — सक्षमता बिना अकेली समानुभूति सुदृढ़ नीति नहीं रच सकती, और सत्यनिष्ठा से विलग EI चालाकी बन सकती है। EI सीखने योग्य भी है (मिशन कर्मयोगी इस पर बल देता है)। अतः IQ आवश्यक है, पर EI ही प्राधिकार को मानवीय, नैतिक व प्रभावी सेवा में बदलती है — प्रभावी प्रशासक का सच्चा चिह्न।

द. नैतिक विचारक (प्र20–25)
प्र20. "कांट हमें बताता है क्या कभी नहीं करना; मिल बताता है क्या प्राप्त करना चाहिए; बुद्धिमान प्रशासक दोनों सुनता है।" चर्चा कीजिए। (150 शब्द)

सार्वजनिक निर्णय कर्तव्यों को परिणामों से भिड़ाते हैं, और कांट का कर्तव्यवाद व मिल का उपयोगितावाद इसी तनाव को प्रकाशित करते हैं।

कांट कहता है कि कुछ कार्य कभी नहीं किए जाने चाहिए, चाहे लाभ कुछ भी हो — मनुष्यों को सदा साध्य मानो, मात्र साधन नहीं, और नियम सार्वभौमिकीकरणीय हों। यह प्रशासन के अनुल्लंघनीय देता है: विधि-शासन, सम्यक प्रक्रिया, समान गरिमा, और अच्छे साध्य से दूषित साधन को पवित्र न करना।

मिल परिणामों की ओर ध्यान खींचता है — अधिकतम का अधिकतम कल्याण; यह लोक-नीति का दैनिक तर्क है (लागत-लाभ, कल्याण-अधिकतमीकरण), जबकि उसका हानि सिद्धांत स्वतंत्रता व अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है।

संश्लेषण: कांट फर्श तय करता है (अधिकार जिनका उल्लंघन न हो); मिल दिशा (उस फर्श के भीतर कल्याण-अधिकतमीकरण)। अवैध झुग्गी-विध्वंस समग्र आधार पर न्यायोचित हो सकता है (मिल), पर केवल सूचना, गरिमा व पुनर्वास सहित (कांट)। अरस्तू की फ्रोनेसिस दोनों को मानवीय, विधिसम्मत निर्णय में जोड़ती है।

प्र**21.** अंबेडकर की "संवैधानिक नैतिकता" की अवधारणा को समझाइए तथा उसकी प्रशासनिक प्रासंगिकता बताइए। **(150** शब्द**)**

अंबेडकर ने (ग्रोट से लेकर) चेताया कि "संवैधानिक नैतिकता स्वाभाविक भावना नहीं; इसे विकसित करना पड़ता है।" इसका अर्थ है आधिकारिक आचरण का दिक्सूचक संविधान के मूल्य — न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व — हों, न कि व्यक्ति की निजी मान्यताएँ या बहुसंख्यक का क्षणिक आवेग।

प्रशासनिक प्रासंगिकता: व्यक्तिगत नैतिकता लोक पद को नियंत्रित नहीं कर सकती — निजी धार्मिक/सामाजिक विचार थोपने वाला अधिकारी निष्पक्षता व नागरिकों के समान अधिकारों से समझौता करता है। लोकप्रिय/सामाजिक नैतिकता भी अपर्याप्त व कभी खतरनाक है — अस्पृश्यता जैसी प्रथाएँ सामाजिक स्वीकृति रखते हुए भी संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करती हैं। एक अधिकारी जो गाँव की "प्रथा" के विरुद्ध दलित परिवार का मंदिर-प्रवेश अधिकार लागू करता है, संवैधानिक नैतिकता मूर्त करता है।

यह संवैधानिक साध्य व साधन दोनों के प्रति निष्ठा है — सम्यक प्रक्रिया, संस्थाओं, बहुलवाद व अल्पसंख्यक-अधिकारों का सम्मान, भले असुविधाजनक हो। बहुसंख्यकवादी दबावों के प्रति संवेदनशील विविध लोकतंत्र में, यही वह अनुशासन है जो सार्वजनिक शक्ति को सभी नागरिकों हेतु न्यास बनाए रखता है।

प्र**22.** कौटिल्य के अर्थशास्त्र से आधुनिक भ्रष्टाचार-निरोध के लिए क्या सीख मिलती है**? (150** शब्द**)**

कौटिल्य कठोर राजनय को योगक्षेम (प्रजा का कल्याण व सुरक्षा) के आदर्श से जोड़ते हैं — "प्रजा के सुख में राजा का सुख।" किंतु उनकी सबसे आधुनिक अंतर्दृष्टि यथार्थवादी भ्रष्टाचार-निरोध है।

उनका प्रसिद्ध वचन — "जैसे जीभ की नोक पर रखा शहद चखे बिना नहीं रहता, वैसे कोष संभालता अधिकारी राजकोष का कुछ चखे बिना नहीं रहता" — मानता है कि प्रलोभन मानवीय है। अतः वे सतर्कता**,** अंकेक्षण**,** जासूस-तंत्र**,** अधिकारियों के स्थानांतरण व कठोर दंड को प्रशासन में अंतर्निर्मित करते हैं।

आधुनिक सीख: भ्रष्टाचार-निरोध को सद्भावना पर नहीं, बल्कि तंत्र-अभिकल्प पर टिकना चाहिए जो प्रलोभन मानकर पारदर्शिता व जवाबदेही अंतर्निर्मित करे — ठीक वही जो क्लिटगार्ड समीकरण **(**भ्रष्टाचार = एकाधिकार + विवेकाधिकार − जवाबदेही**)** कहता है। DBT, GeM, फेसलेस मूल्यांकन व ई-अभिशासन विवेकाधिकार घटाकर यही करते हैं।

कौटिल्य का सबक संतुलित है: कल्याण को सर्वोच्च लक्ष्य रखो, पर मानव-दुर्बलता के प्रति यथार्थवादी रहकर तंत्र में सतर्कता व पारदर्शिता गढ़ो।

प्र**23.** रॉल्स के "अज्ञान के आवरण" को किसी कल्याण योजना के अभिकल्प पर लागू कीजिए। **(150** शब्द**)**

रॉल्स पूछते हैं कि हम न्याय के सिद्धांत अज्ञान के आवरण के पीछे चुनें — यह न जानते हुए कि समाज में हमारा स्थान (वर्ग, जाति, क्षमता) क्या होगा। ऐसी स्थिति में विवेकशील व्यक्ति समान मूल स्वतंत्रताएँ व विभेद सिद्धांत चुनेंगे — असमानता तभी न्यायोचित जब वह सर्वाधिक वंचित को लाभ दे।

किसी कल्याण योजना (मान लें, शहरी गरीब हेतु आवास) के अभिकल्प पर लागू करें: यदि अभिकल्पक नहीं जानता कि वह स्वयं बेघर प्रवासी होगा या समृद्ध करदाता, तो वह ऐसी योजना चुनेगा जो सबसे कमज़ोर लाभार्थी की गरिमा व पहुँच सुनिश्चित करे — सरल पात्रता, बिना रिश्वत के पहुँच, मलिन-बस्ती निवासियों को प्राथमिकता, व समावेशी डिज़ाइन (दिव्यांग-सुलभ, महिला-सुरक्षित)।

यह "मुखपृष्ठ परीक्षण" व गांधी के जंतर से मेल खाता है: हर निर्णय ऐसे रचें मानो आप उसके सबसे गरीब लाभार्थी हो सकते हैं। न्याय का माप यह है कि योजना सबसे बुरी स्थिति वाले के लिए क्या करती है — सकारात्मक कार्रवाई व गरीब-हितैषी नीति का यही दार्शनिक आधार है।

प्र**24. "**गांधी का साधन-शुद्धता पर आग्रह अभिशासन में अव्यावहारिक है।" समालोचना कीजिए। **(150** शब्द**)**

गांधी मानते थे साधन व साध्य अविभाज्य हैं — "जैसा साधन, वैसा साध्य।" आलोचक इसे अव्यावहारिक कहते हैं, जहाँ अधिकारी कठिन समझौते व समय-दबाव झेलते हैं।

आलोचना में बल: अभिशासन अप्रिय समझौते माँगता है — व्यवस्था हेतु बलप्रयोग, सुरक्षा में गोपनीयता। शुद्ध परिणामवादी तर्क देते हैं कि अच्छा परिणाम कम-शुद्ध साधन को न्यायोचित ठहरा सकता है।

फिर भी सिद्धांत पुष्ट होता है**:** "साध्य साधन को न्यायोचित ठहराता है" का इतिहास दुरुपयोग का इतिहास है — "दोषी" को दंडित करने हेतु गढ़े साक्ष्य, स्वीकारोक्ति हेतु यातना, बिना पुनर्वास विस्थापन। दूषित साधन कर्ता व संस्था को भ्रष्ट करते हैं, और वादा किया भला शायद ही बचता है। "काम कराने" हेतु भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार को

ही जड़ देता है।

समाधान: अशुद्ध व अपूर्ण साधन में भेद। गांधी ने दृढ़ता या वैध बलप्रयोग वर्जित नहीं किया; उन्होंने अनैतिक साधन — छल, अन्याय, क्रूरता — वर्जित किए। सूचना, गरिमा व पुनर्वास सहित विध्वंस दृढ़ किंतु शुद्ध साधन है। अतः साधन-शुद्धता अव्यावहारिकता नहीं, अनुशासन है — वह गारंटी कि शक्ति शस्त्र नहीं, न्यास बनी रहे।

प्र**25.** भारतीय व पाश्चात्य विचारकों की नैतिक दृष्टियाँ परस्पर पूरक हैं या विरोधी**?** चर्चा कीजिए। **(150** शब्द**)**

ये परंपराएँ विरोधी से अधिक पूरक हैं; परिपक्व प्रशासक दोनों से उपकरण लेता है।

अभिसरण के बिंदु: गांधी की न्यासधारिता व लॉक का "पद बतौर न्यास"; कौटिल्य का योगक्षेम व मिल का कल्याण; अंबेडकर की संवैधानिक नैतिकता व रॉल्स का न्याय-बतौर-निष्पक्षता; बुद्ध/अरस्तू दोनों का चरित्र व मध्यम-मार्ग/स्वर्णिम-मध्य पर बल; गीता का निष्काम कर्म व कांट का कर्तव्य-भाव।

बल के भिन्न केंद्र**:** भारतीय परंपरा प्रायः कर्तव्य, अनासक्ति, समग्रता व आत्म-रूपांतरण (धर्म, निष्काम कर्म) पर बल देती है; पाश्चात्य आधुनिक परंपरा अधिकार, विवेक, संस्थाएँ व न्याय-प्रक्रिया (कांट, रॉल्स) पर। ये पूरक हैं — एक आंतरिक चरित्र गढ़ती है, दूसरी बाह्य न्यायपूर्ण संरचना।

संश्लेषण: किसी दुविधा पर कांट (अधिकार/गरिमा), मिल (कल्याण), रॉल्स (वंचित-लाभ), गांधी (शुद्ध साधन/जंतर) व अरस्तू (फ्रोनेसिस) मिलकर एक संतुलित, विधिसम्मत, करुणामय निर्णय देते हैं। विचारक नारे नहीं, उपकरण हैं — सिविल सेवक उन्हें संदर्भानुसार चुनकर संश्लेषित करता है।

य. लोक प्रशासन में नीति एवं प्रोबिटी (प्र26–37)

प्र**26.** आचरण संहिता व नैतिक संहिता में भेद कीजिए। दोनों क्यों आवश्यक हैं**? (150** शब्द**)**

आचरण संहिता विशिष्ट, प्रवर्तनीय नियमों का समुच्चय है (उपहार, संपत्ति, निजी व्यापार, राजनीतिक गतिविधि पर) — अनुशासनात्मक दंड-समर्थित (AIS आचरण नियम 1968)। यह न्यूनतम परिभाषित करती है — क्या अवश्य या नहीं करना — जवाबदेही व आधारभूत प्रोबिटी सुनिश्चित करते हुए। सीमा: नियम विधिवादी हैं, चकमा दिए जा सकते हैं, हर स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते।

नैतिक संहिता व्यापक मूल्यों (सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, जनहित, करुणा) को व्यक्त करती है जो धूसर क्षेत्रों में निर्णय प्रेरित करते हैं जहाँ नियम मौन हैं। यह छत को ऊँचा करती है — विवेक को अक्षर नहीं, आत्मा की ओर निर्देशित करती है।

दूसरे **ARC** ने इसीलिए दोनों की संस्तुति की: आचरण नियम निरुत्साहित व दंडित करें, नैतिक संहिता प्रेरित व आत्मसात कराए। मूल्यों बिना नियम चकमा दिए जाते हैं; नियमों बिना मूल्य निष्प्रभावी हैं। सुशासन को फर्श व छत दोनों चाहिए — एक न्यूनतम सुनिश्चित करे, दूसरा उत्कृष्टता प्रेरित करे, जिससे सत्यनिष्ठा अभ्यस्त बने, मात्र बाध्य नहीं।

प्र**27.** "प्रोबिटी प्रभावी अभिशासन व सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु आवश्यक है।" चर्चा कीजिए। **(CSE 2023, 150** शब्द**)**

प्रोबिटी सार्वजनिक मामलों में पुष्ट सत्यनिष्ठा है — मात्र कानूनी अनुपालन से परे उच्चतम नैतिक मानक। यह प्रभावी अभिशासन की नींव है क्योंकि लोक पद एक न्यास है।

अभिशासन के लिए: प्रोबिटी जन-विश्वास टिकाती है — नागरिक कानूनों का पालन, कर-भुगतान व सहयोग तभी करते हैं जब शक्ति का ईमानदार प्रयोग दिखे; यह विधि-शासन व समता (अनु. 14) सुनिश्चित करती है, जहाँ निर्णय गुणावगुण पर हों, रिश्वत या दबाव पर नहीं।

विकास के लिए: भ्रष्टाचार एक प्रतिगामी कर है जो गरीब को सर्वाधिक हानि पहुँचाता है, संसाधनों को शक्तिशाली की ओर मोड़ता है, लागत बढ़ाता है व निवेश को निरुत्साहित करता है। पारदर्शी, ईमानदार आवंटन कल्याण-प्रतिफल अधिकतम करता है — DBT की ₹3+ लाख करोड़ की संचयी बचत इसका प्रमाण है। CPI 2024 में भारत 96/180 है, जो शेष चुनौती दर्शाता है।

अतः प्रोबिटी अभिशासन पर बाधा नहीं, बल्कि उसकी नींव है: एक पारदर्शी राज्य विश्वसनीय राज्य है, और विश्वास ही अभिशासन की अंतिम मुद्रा है।

प्र**28.** सूचना का अधिकार **(RTI)** नागरिकों को सशक्त करता है पर अब अस्तित्व-संकट में है। परीक्षण कीजिए। **(150** शब्द**)**

RTI अधिनियम **2005**, अनुच्छेद 19(1)(क) (जानने का अधिकार) से प्रवाहित, ने नागरिक को राज्य-शक्ति का सक्रिय प्रहरी बनाया। इसने भ्रष्टाचार उजागर किया, सामाजिक अंकेक्षण सुदृढ़ किया, सक्रिय प्रकटन (धारा 4) अनिवार्य किया, और लोकतंत्र को गहन किया — एक वैश्विक मॉडल।

अस्तित्व-संकट: (1) सूचना आयोगों में भारी लंबित मामले व रिक्तियाँ; (2) **RTI (**संशोधन**) 2019** ने सूचना आयुक्तों के कार्यकाल/शर्तें केंद्रीकृत कीं; (3) सर्वाधिक गंभीर — **DPDP** अधिनियम **2023** की धारा **44(3)** ने RTI धारा 8(1)(ञ) को संशोधित कर समस्त व्यक्तिगत सूचना हेतु पूर्ण छूट बनाई, पूर्व जनहित-अधिभावी को हटाते हुए — आशंका है कि यह अधिकारियों की संपत्ति, मूल्यांकन व स्थानांतरण को प्रकटन से बचाएगी; (4) RTI कार्यकर्ताओं को खतरा।

सुधार: आयोगों में रिक्तियाँ शीघ्र भरें, धारा 4 सक्रिय-प्रकटन सुदृढ़ करें, कार्यकर्ताओं की रक्षा करें, व पारदर्शिता-निजता संतुलन इस प्रकार साधें कि अधिकारियों के निर्णयों की जवाबदेही बनी रहे। RTI पारदर्शिता को क्रियान्वित करता है — प्रोबिटी का संस्थागत आधार — अतः इसकी रक्षा लोकतंत्र की रक्षा है।

प्र**29.** नागरिक चार्टर भारत में आशय के कथन मात्र रह गए हैं**,** सेवा की गारंटी नहीं। समालोचना कीजिए। **(150** शब्द**)**

नागरिक चार्टर (UK 1991 → भारत 1997) एक सार्वजनिक दस्तावेज़ है जिसमें संगठन सेवा-मानक, समय-सीमा व निवारण-तंत्र घोषित करता है, नागरिक को अधिकार-बोध देते हुए। सेवोत्तम मॉडल इसे चार्टर + निवारण + सेवा-क्षमता के रूप में विस्तृत करता है।

सीमाएँ (आलोचना): अधिकांश चार्टर गैर-न्यायोचित/अबाध्यकारी हैं; ऊपर-से-नीचे, बिना नागरिक-परामर्श रचित; अद्यतन नहीं होते; कम जागरूकता; मानक अस्पष्ट व अमापनीय। फलतः वे "आशय के कथन" बन जाते हैं, प्रवर्तनीय गारंटी नहीं। नागरिक चार्टर व शिकायत-निवारण विधेयक **2011** लुप्त हो गया — कानून नहीं बना।

सुधार: दूसरे ARC ने चार्टरों को विशिष्ट**,** मापनीय व जवाबदेही-समर्थित बनाने की संस्तुति की। राज्यों के लोक सेवा गारंटी अधिनियम (समयबद्ध सेवा, चूक पर दंड)

चार्टर को दाँत देते हैं; **CPGRAMS**, फेसलेस सेवाएँ व डैशबोर्ड-निगरानी अनुपालन बढ़ाते हैं।

अतः चार्टर तभी सार्थक है जब वह घोषणा से प्रवर्तनीय अधिकार में बदले — मापनीय मानक, दंड-समर्थित, व नागरिक-सहभागिता से बना। तब वह गरिमा-वितरण का उपकरण बनता है, मात्र कागज़ी वादा नहीं।

प्र**30. "**प्रौद्योगिकी ने पारदर्शिता के लिए किसी भी कानून से अधिक किया है।" **DBT, GeM** व फेसलेस अभिशासन के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। **(150** शब्द**)**

भ्रष्टाचार क्लिटगार्ड समीकरण **(C** = एकाधिकार + विवेकाधिकार — जवाबदेही**)** से पनपता है। प्रौद्योगिकी ठीक इन्हीं चरों पर प्रहार करती है — विवेकाधिकार व मानवीय संपर्क घटाकर, पारदर्शिता व अभिलेख बढ़ाकर।

DBT/JAM बिचौलियों व फर्ज़ी/डुप्लिकेट लाभार्थियों को हटाकर रिसाव रोकता है — संचयी रूप से **₹3+** लाख करोड़ की रिपोर्टेड बचत। **GeM** सार्वजनिक खरीद को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी ई-बाज़ार में बदलता है, सांठगांठ घटाते हुए। फेसलेस मूल्यांकन कर-अधिकारी व करदाता के बीच विवेकाधीन संपर्क समाप्त कर उत्पीड़न व रिश्वत घटाता है। **PFMS** वास्तविक-समय निधि-ट्रैकिंग देता है।

किंतु सावधानी: प्रौद्योगिकी रामबाण नहीं — एल्गोरिद्मीय अभिनति वास्तविक गरीब को बाहर कर सकती है (मानवीय निगरानी व अपील आवश्यक); डिजिटल विभाजन व डेटा-निजता नई चिंताएँ हैं; इच्छाशक्ति बिना उपकरण निष्प्रभावी।

अतः प्रौद्योगिकी समकालीन सर्वोत्तम पारदर्शिता-उपकरण है, पर वह कानून (RTI) व मूल्यों की पूरक है, स्थानापन्न नहीं। सर्वोत्तम परिणाम प्रौद्योगिकी + कानून + सत्यनिष्ठा के संयोग से आते हैं।

प्र**31.** भ्रष्टाचार व्यक्तियों की नैतिक विफलता है या तंत्र की अभिकल्प-विफलता**?** चर्चा कीजिए। **(150** शब्द**)**

भ्रष्टाचार दोनों है, और प्रभावी सुधार दोनों को संबोधित करता है।

व्यक्तिगत/नैतिक आयाम: लोभ, मूल्य-अभाव, कमज़ोर सत्यनिष्ठा व भय अधिकारियों को भ्रष्टाचार की ओर ले जाते हैं; मूल्य-शिक्षा व चरित्र-निर्माण की कमी इसे बढ़ाती है।

तंत्रगत/अभिकल्प आयाम: क्लिटगार्ड **(C** = एकाधिकार + विवेकाधिकार — जवाबदेही**)** के अनुसार भ्रष्टाचार वहाँ पनपता है जहाँ अधिकारी का एकाधिकार व अनियंत्रित विवेकाधिकार हो और जवाबदेही कमज़ोर। जटिल नियम, कमज़ोर निगरानी, अपारदर्शिता व दुर्लभ दंड भ्रष्टाचार को "तर्कसंगत" बना देते हैं — ईमानदारी महँगी, बेईमानी सस्ती।

संश्लेषण: केवल नैतिक उपदेश अपर्याप्त है यदि तंत्र भ्रष्टाचार को पुरस्कृत करता हो; केवल नियम अपर्याप्त यदि मूल्य आत्मसात न हों। अतः सुधार दो पैरों पर चले — तंत्रगत (विवेकाधिकार घटाएँ — डिजिटलीकरण; पारदर्शिता बढ़ाएँ — RTI; जवाबदेही सुदृढ़ करें — लोकपाल, फास्ट-ट्रैक न्यायालय; व्हिसलब्लोअर-रक्षा) तथा मूल्य-आधारित (नैतिक संहिता, प्रशिक्षण, नेतृत्व, मूल्य-शिक्षा)।

ईमानदार के लिए सही विकल्प को सुगम विकल्प बनाओ, और भ्रष्ट के लिए कठिन व जोखिमपूर्ण — तब तंत्र व चरित्र दोनों सुधरते हैं।

प्र**32.** जवाबदेही व उत्तरदायित्व में भेद कीजिए। भारत की जवाबदेही**-**वास्तुकला का मूल्यांकन कीजिए। **(150** शब्द**)**

उत्तरदायित्व किसी कार्य का स्वामित्व है (किसका काम); जवाबदेही उस कार्य व उसके परिणामों के लिए उत्तर देने, औचित्य देने व परिणाम भोगने का दायित्व है। उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है, जवाबदेही अंततः टाली नहीं जा सकती।

भारत की वास्तुकला: राजनीतिक (विधायिका, चुनाव, समितियाँ); प्रशासनिक (वरिष्ठ, सतर्कता); विधिक (न्यायालय, PIL); वित्तीय (**CAG** अनु. 148, **PAC**); सामाजिक (**RTI**, सामाजिक अंकेक्षण, नागरिक चार्टर); संस्थाएँ — **CVC, CBI,** लोकपाल **(2013;** अध्यक्ष न्यायमूर्ति खानविलकर**,** मार्च **2024)**, **PCA 1988 (2018)**।

मूल्यांकन: ढाँचा प्रभावशाली है पर जवाबदेही-घाटा बना है — विसरित उत्तरदायित्व, फाइल-टिप्पणियों की गुमनामी, कमज़ोर व विलंबित दंड, व्हिसलब्लोअर अधिनियम **2014** के नियम अनधिसूचित, व RTI का दुर्बलीकरण (DPDP धारा 44(3))।

सुधार: परिणाम-बजटिंग, उत्तरदायित्व-निर्धारण, ई-अभिशासन-अभिलेख, व्हिसलब्लोअर-रक्षा, व लोकपाल/CVC का सुदृढ़ीकरण। जवाबदेही तभी सार्थक है जब वह उत्तर-देने से आगे परिणाम भुगतने तक जाए।

प्र**33. "**नैतिक अभिशासन को सशक्त करना केवल कानून नहीं**,** मूल्य भी माँगता है।" विस्तार कीजिए। **(150** शब्द**)**

नैतिक अभिशासन का सुदृढ़ीकरण दो-स्तरीय रणनीति माँगता है — मूल्य + संस्थाएँ — क्योंकि न तो अकेली व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, न अकेले नियम पर्याप्त हैं।

संस्थागत स्तर: सुदृढ़ भ्रष्टाचार-निरोधी निकाय (लोकपाल, CVC) व फास्ट-ट्रैक न्यायालय; पारदर्शिता (RTI, सक्रिय प्रकटन, DBT, GeM, फेसलेस); नैतिक व आचरण संहिताएँ; व्हिसलब्लोअर-रक्षा व हित-संघर्ष नियम; नागरिक चार्टर, सेवोत्तम, सामाजिक अंकेक्षण; प्रोत्साहन-सुधार (योग्यता-पदस्थापन, निश्चित कार्यकाल, ईमानदारों की रक्षा)।

मूल्य स्तर: प्रशिक्षण में नीति (LBSNAA, मिशन कर्मयोगी); नैतिक नेतृत्व व "शीर्ष का स्वर"; विद्यालय/समाज में मूल्य-शिक्षा (NEP 2020); EI व नैतिक साहस; सत्यनिष्ठा की सार्वजनिक मान्यता।

क्यों दोनों: नियम बताते हैं क्या न करना, पर निगरानी शिथिल होते ही चकमा दिए जाते हैं यदि मूल्य आत्मसात न हों; मूल्य प्रेरित करते हैं पर बिना संस्थागत समर्थन क्षरित होते हैं।

मार्गदर्शक विचार: नियम, प्रोत्साहन, पारदर्शिता व संस्कृति को सरेखित कर नैतिक विकल्प को सुगम विकल्प बनाओ। सुधार तंत्रगत व मूल्य-आधारित दोनों हो — मात्र दंडात्मक नहीं।

प्र**34. "**नैतिक विदेश-नीति विरोधाभास नहीं**,** बल्कि प्रबुद्ध राष्ट्रहित है।" भारतीय उदाहरणों सहित विश्लेषण कीजिए। **(150** शब्द**)**

यथार्थवाद (राष्ट्रहित/शक्ति) बनाम आदर्शवाद (सार्वभौमिक मूल्य) का द्वंद्व अतिरंजित है: बुद्धिमान राज्य पहचानता है कि नीति व हित प्रबुद्ध राष्ट्रहित में अभिसरित होते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा, विश्वास व नैतिक प्रतिष्ठा स्वयं सामरिक संपत्तियाँ हैं।

शुद्ध यथार्थवाद आत्म-घातक है — निंदक माना गया राज्य सॉफ्ट-पावर व साझेदार खोता है; शुद्ध आदर्शवाद भोला व अस्थिर है। संश्लेषण है नैतिक आचरण के माध्यम से राष्ट्रहित की पूर्ति।

भारतीय उदाहरण: वसुधैव कुटुम्बकम् व पंचशील (शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अहस्तक्षेप) हित को सिद्धांत में आबद्ध करते हैं; गुटनिरपेक्षता ने नैतिक धरातल पर सामरिक स्वायत्तता का दावा किया; वैक्सीन मैत्री (जनवरी 2021 से 90+ देशों को टीके), आपदा-कूटनीति (पड़ोस में प्रथम-प्रतिक्रियक), जलवायु न्याय/**CBDR** की वकालत व ग्लोबल साउथ का नेतृत्व — सब नैतिक अपील को सामरिक लाभ से जोड़ते हैं।

तनाव बने रहते हैं (संप्रभुता बनाम मानवाधिकार, चयनात्मक मानक), पर दिशा शिक्षाप्रद है: नैतिक आचरण वह विश्वास व वैधता बनाता है जो टिकाऊ प्रभाव में बदलते हैं। सच्चा यथार्थवादी राज्य नैतिक राज्य है।

प्र**35. FCRA** के तहत **NGO** के विदेशी वित्तपोषण के विनियमन में नैतिक दुविधाओं की जाँच कीजिए। **(150** शब्द**)**

विदेशी वित्तपोषण-विनियमन संप्रभुता व सुरक्षा बनाम नागरिक-समाज स्वतंत्रता के बीच नैतिक तनाव उठाता है। **FCRA (2010, 2020** में कठोर — आधार-अनिवार्यता**,** निर्दिष्ट **SBI** नई दिल्ली खाता**,** उप-अनुदान वर्जित**,** प्रशासनिक-व्यय सीमा **20%)** का उद्देश्य धन-शोधन, अनुचित विदेशी प्रभाव व सुरक्षा-जोखिम रोकना है।

दुविधा: अति-कठोर प्रवर्तन उन वास्तविक NGO के ज़मीनी कल्याण-कार्य (शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत) को बाधित कर सकता है जो लाभार्थियों की सेवा करते हैं; अति-शिथिलता सुरक्षा व पारदर्शिता से समझौता करती है। प्रश्न यह भी है कि असहमति-व्यक्त करने वाले संगठनों पर चयनात्मक प्रयोग न हो।

नैतिक संतुलन: समानुपात व सम्यक प्रक्रिया — उल्लंघन पर नोटिस दें, समय-सीमा में अनुपालन/प्रकटन का अवसर दें, संक्रमण में लाभार्थी-सेवाएँ संरक्षित रखें, और कठोर कार्रवाई केवल वास्तविक धन-शोधन/सुरक्षा-उल्लंघन पर। पारदर्शिता एक वैध जनहित है, जो लाभार्थियों के कल्याण से संतुलित हो।

सिद्धांत: वित्तपोषण में पारदर्शिता आवश्यक है, पर विनियमन निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण व नागरिक-समाज की वैध भूमिका का सम्मान करता हो।

प्र**36. "**सुशासित कॉर्पोरेट अभिशासन संस्थागत व्यावसायिक नीति है।" भारतीय संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। **(150** शब्द**)**

कॉर्पोरेट अभिशासन व्यावसायिक नीति की अमूर्तताओं को ठोस संरचनाओं**,** नियमों व जवाबदेहियों में अनुवादित करता है — व्यक्तियों की सद्भावना पर नहीं, बल्कि फर्म की वास्तुकला में ईमानदारी अंतर्निर्मित करता है। इसके सिद्धांत — पारदर्शिता, जवाबदेही, औचित्य, उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता — लोक-सेवा नीति का दर्पण हैं, क्योंकि कंपनी भी अनेक हितधारकों हेतु धारित न्यास है।

भारतीय ढाँचा: कंपनी अधिनियम **2013** (स्वतंत्र निदेशक, अंकेक्षण समिति, CSR धारा 135), **SEBI LODR**, उदय कोटक समिति **(2017)**। सत्यम घोटाला **(2009)** मोड़-बिंदु था, जिसने बोर्ड-कब्ज़ा व अंकेक्षक-विफलता के परिणाम दिखाए। **ESG** व **BRSR** (शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों हेतु अनिवार्य) नीति को पर्यावरणीय-सामाजिक निष्पादन तक विस्तृत करते हैं।

किंतु सशर्त: संस्थाकरण स्वतः नीति नहीं — स्वतंत्र निदेशक प्रवर्तकों के अधीन हो सकते हैं; संबंधित-पक्ष लेन-देन, ग्रीनवॉशिंग व खानापूर्ति बनी रहती है। संरचनाओं को नैतिक संस्कृति चाहिए।

निर्णय: सुशासित कॉर्पोरेट अभिशासन है संस्थागत व्यावसायिक नीति, पर वह नीति तभी देता है जब शीर्ष पर सत्यनिष्ठा व सच्चा हितधारक दृष्टिकोण हो।

प्र**37. "**रूप के प्रति अंध-आसक्ति**,** सार की अनदेखी**,** अन्याय लाती है।" परीक्षण कीजिए। **(CSE 2024, 150** शब्द**)**

यह कथन नियम के अक्षर (रूप) व उसके आशय व प्रयोजन (सार) में भेद करता है। नियम न्यायपूर्ण साध्यों के साधन हैं; जब यांत्रिक रूप से, आशय की अनदेखी कर लागू हों, तो वे उसी न्याय को पराजित कर सकते हैं जिसे वे साधने थे — "चेहरों पर फाइलें।"

तुच्छ दस्तावेज़ी चूक पर वास्तविक विधवा को पेंशन से वंचित करना, या एक दिन विलंब से राहत रोकना, अक्षरशः-पालन से अन्याय का उदाहरण है। एक कुशल सिविल सेवक विधायी आशय पढ़ता है व मानवीय ढंग से विवेक का प्रयोग करता है — वैकल्पिक प्रमाण स्वीकारना, सद्भावी विलंब क्षमा करना, प्रक्रिया सरल करना — कानून के भीतर रहते हुए। यह प्रयोजनमूलक**,** न कि मनमाना प्रशासन है, अनु. 14 की सारभूत समता से निर्देशित।

चेतावनी संतुलन है: रूप की अनदेखी पक्षपात या अवैधता का लाइसेंस न बने। आदर्श है "समानुभूतिपूर्ण दृढ़ता" — नियम के प्रयोजन के प्रति निष्ठा, उसके रूप में लचीलापन, व सर्वत्र सत्यनिष्ठा। सच्चा प्रशासन न्याय की सेवा करता है, कागज़ी कार्रवाई की नहीं।

र. केस स्टडीज़ (प्र38–50, ~250 शब्द प्रत्येक)
प्र**38.** आप उप-मंडल अधिकारी हैं। एक निर्धन विधवा की वास्तविक पेंशन फाइल अटकी है**;** क्लर्क संकेत देता है कि "गति-धन" से ही चलेगी**,** जो वह दे नहीं सकती। जाँच पर आप कार्यालय में संगठित पेटी-भ्रष्टाचार पाते हैं। आप क्या करेंगे**? (250** शब्द**)**
हितधारक: विधवा व समान आवेदक, भ्रष्ट क्लर्क, ईमानदार स्टाफ, मैं, संस्था की विश्वसनीयता। नैतिक मुद्दे**:** सत्यनिष्ठा बनाम सांठगांठ; गरीब के प्रति करुणा; तंत्र-शुद्धि का दायित्व; विधि-शासन।
विकल्प: (क) चुपचाप केवल उसकी फाइल निपटाना — एक मामला हल, रैकेट अक्षुण्ण; (ख) उपेक्षा — अनैतिक; (ग) तंत्रगत कार्रवाई — चयनित।
कार्रवाई: सर्वप्रथम विधवा (व अन्य वास्तविक) लंबित फाइलें तुरंत निपटाऊँगा। साथ ही विवेकपूर्वक साक्ष्य जुटाऊँगा (डिकॉय, CCTV, सतर्कता-शिकायत) व रैकेट के विरुद्ध अनुशासनात्मक/सतर्कता कार्रवाई आरंभ करूँगा। मूल-कारण पर प्रहार हेतु पारदर्शी ट्रैकिंग लागू करूँगा — टोकन, समय-मुद्रांकन, ऑनलाइन स्थिति, हेल्प-डेस्क — ताकि विवेकाधिकार व व्यक्तिगत संपर्क न्यूनतम हों। ईमानदार स्टाफ को प्रोत्साहित व व्हिसलब्लोअर को संरक्षित करूँगा।
औचित्य: यह सत्यनिष्ठा व विधि-शासन बनाए रखता है, सबसे कमज़ोर की रक्षा करता है (गांधी का जंतर), और लक्षण नहीं बल्कि तंत्र ठीक करता है — क्लिटगार्ड का सिद्धांत (विवेकाधिकार घटाओ, पारदर्शिता बढ़ाओ)। केवल एक फाइल निपटाना करुणा होगी, पर रैकेट को छोड़ना अन्य गरीबों के साथ विश्वासघात। समानुभूतिपूर्ण दृढ़ता — विधवा के प्रति करुणा व भ्रष्ट तंत्र के प्रति दृढ़ता — ही नैतिक मार्ग है, जो अल्पकालिक राहत को दीर्घकालिक सुधार से जोड़ता है।
प्र**39.** आपके वरिष्ठ मौखिक रूप से आपको एक अपात्र पर राजनीतिक रूप से समर्थित बोलीदाता को ठेका देने का निर्देश देते हैं। इनकार पर दंडात्मक स्थानांतरण की आशंका है। आपके विकल्प व कार्रवाई**? (250** शब्द**)**
हितधारक: सार्वजनिक कोष, योग्य बोलीदाता, वरिष्ठ, मैं व मेरा परिवार, संस्था। नैतिक मुद्दे**:** आज्ञापालन/निष्ठा बनाम सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता व विधि-शासन; साहस

बनाम कैरियर-सुरक्षा।

विकल्प: (क) अनुपालन — अवैध व अनैतिक; (ख) मीडिया-लीक — समय-पूर्व, सम्यक-प्रक्रिया-विरोधी; (ग) लिखित आदेश माँगना, असहमति अभिलेखित करना, बढ़ाना — चयनित।

कार्रवाई: मैं विनम्रता से निर्देश लिखित में माँगूँगा (टी.एस.आर. सुब्रमण्यम — मौखिक आदेश अभिलेखित करें)। अपना वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन व असहमति फाइल पर रखूँगा, GeM/निविदा प्रक्रिया का पालन करूँगा, और दबाव बने रहने पर मामला सक्षम प्राधिकारी/सतर्कता को बढ़ाऊँगा। यदि दंडात्मक स्थानांतरण आता है, तो उसे स्वीकार करूँगा — सुविधा पर सत्यनिष्ठा।

औचित्य: निष्ठा कानून व जनहित के प्रति है, किसी अवैध आदेश के प्रति नहीं (आरेंट की "बुराई की साधारणता"; न्यूरेम्बर्ग सिद्धांत)। लिखित अभिलेख सत्यनिष्ठा व अधिकारी दोनों की रक्षा करते हैं और भविष्य की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। सार्वजनिक खरीद में वस्तुनिष्ठता (अनु. 14) सर्वोपरि है — पक्षपात कोष व योग्य बोलीदाताओं के साथ अन्याय है। मैं संघर्ष को सम्मानजनक व प्रक्रियात्मक रूप से सही रखूँगा, टकराव नहीं — दृढ़ किंतु व्यावसायिक। एक समझौता आगे और समझौतों का द्वार खोलता है; सत्यनिष्ठा दबाव में संगति है।

प्र**40.** एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी के रूप में आप पाते हैं कि आपकी एक सहकर्मी के पिता को हृदय-शल्य हेतु ₹**10** लाख चाहिए; उसके पास बीमा नहीं व वह निम्न-मध्यवर्गीय परिवार से है। आप सहानुभूति रखते हैं पर वित्त-साधन नहीं। आप क्या करेंगे? **(CSE 2023-**आधारित**, 250** शब्द**)**

हितधारक: सहकर्मी व उसका परिवार, बैंक, अन्य ग्राहक/कर्मचारी, मैं। नैतिक मुद्दे: करुणा व सहायता की इच्छा बनाम सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता व बैंक-नियमों का पालन; व्यक्तिगत बनाम संस्थागत साधन।

कार्रवाई — वैध व करुणामय मार्गों का संयोजन: (1) सहकर्मी को वैध संस्थागत सहायता तक पहुँचाऊँगा — बैंक/संगठन की चिकित्सा-ऋण या अग्रिम सुविधा, कर्मचारी-कल्याण कोष, स्वास्थ्य-बीमा दावे यदि कोई हों। (2) सरकारी योजनाओं की ओर निर्देशित करूँगा — आयुष्मान भारत/**PM-JAY** (यदि पात्र), राज्य स्वास्थ्य-कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, अस्पताल का EWS कोटा/धर्मार्थ छूट। (3) क्राउडफंडिंग व सहकर्मी-स्वैच्छिक योगदान का संयोजन व्यवस्थित करने में मदद करूँगा, तथा अपनी व्यक्तिगत क्षमता अनुसार स्वैच्छिक योगदान दूँगा। (4) उसे प्रक्रियात्मक रूप से (दावे, दस्तावेज़) सहायता दूँगा ताकि सहायता शीघ्र मिले।

मैं क्या नहीं करूँगा: बैंक-निधि का अनधिकृत उपयोग, ऋण-नियमों में हेरफेर, या किसी अन्य पात्र ग्राहक की कीमत पर पक्षपात — यह सत्यनिष्ठा व निष्पक्षता का उल्लंघन होगा, चाहे प्रेरणा करुणामय हो।

औचित्य: करुणा को वैध माध्यमों से व्यक्त किया जाना चाहिए, संस्थागत न्यास के दुरुपयोग से नहीं। समानुभूति मुझे सक्रिय रूप से सहायता खोजने को प्रेरित करती है, पर निष्पक्षता सुनिश्चित करती है कि मैं नियम न तोड़ूँ। यह समानुभूतिपूर्ण दृढ़ता है — हृदय से सहायता, पर सत्यनिष्ठा की सीमा में। ऐसा आचरण व्यक्तिगत मानवता व व्यावसायिक प्रोबिटी दोनों को बनाए रखता है।

प्र**41.** एक निजी अस्पताल की वरिष्ठ प्रबंधक स्नेहा की खरीद-समिति में उसके भाई की फर्म ने भी बोली दी है। निजी अस्पताल होने से न्यूनतम बोली अनिवार्य नहीं। उसका भाई वित्तीय कठिनाई में है। स्नेहा क्या करे? **(CSE 2024, 250** शब्द**)**

हितधारक: रोगी व अस्पताल, अन्य विक्रेता, भाई, स्नेहा, उसकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा। नैतिक मुद्दे: हित-संघर्ष; निजी संस्था में भी निष्पक्षता व सत्यनिष्ठा के आभास का महत्त्व; चिकित्सा-नीति (उपकरण-गुणवत्ता रोगी-सुरक्षा से जुड़ी); पारिवारिक करुणा बनाम व्यावसायिक कर्तव्य।

कार्रवाई: स्नेहा को हित-संघर्ष प्रबंधन व समिति को लिखित रूप से घोषित करना चाहिए और भाई की बोली के मूल्यांकन से स्वयं को अलग **(recuse)** कर लेना चाहिए। मूल्यांकन एक स्वतंत्र, पारदर्शी, गुणवत्ता-प्रथम प्रक्रिया से हो (तकनीकी-वित्तीय मानदंड, रोगी-सुरक्षा प्राथमिक)। भाई बोली दे सकता है, पर वह केवल गुणावगुण पर जीते।

न्यायोचित ठहराव: यद्यपि न्यूनतम-बोली कानूनन अनिवार्य नहीं, निष्पक्षता पक्षपात ही नहीं बल्कि पक्षपात के आभास से भी बचना माँगती है; पृथक्करण उसकी प्रतिष्ठा, संस्था की विश्वसनीयता व रोगी-हित की रक्षा करता है (नोलन के सत्यनिष्ठा/वस्तुनिष्ठता सिद्धांत)।

चिकित्सा-नीति का समझौता: यदि वह भाई को निम्नतर उपकरण के बावजूद ठेका देती, तो रोगी-सुरक्षा से समझौता होता — यह सर्वाधिक गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि स्वास्थ्य-सेवा में गुणवत्ता जीवन से जुड़ी है।

संतुलन: भाई की वित्तीय कठिनाई के प्रति करुणा वैध है, पर उसे वैध, व्यक्तिगत माध्यमों (व्यक्तिगत सहायता, अन्य अवसरों की जानकारी) से संबोधित किया जाए, न कि सार्वजनिक/संस्थागत निर्णय में पक्षपात से। निष्पक्षता व रोगी-हित पारिवारिक करुणा पर वरीयता रखते हैं — यही समानुभूतिपूर्ण दृढ़ता है।

प्र**42.** न्यायालय-आदेशित अवैध झुग्गी-विध्वंस मानसून से पूर्व करना है; सैकड़ों गरीब परिवार (बच्चों सहित) विस्थापित होंगे। आपके विकल्प व निर्णय? **(250** शब्द**)**

हितधारक: झुग्गी-परिवार (विशेषकर बच्चे), न्यायालय/कानून, व्यापक जनता (भूमि-उपयोग), मैं। नैतिक दुविधा: विधि-शासन व न्यायालय-अवमान से बचाव बनाम करुणा व आश्रय/गरिमा का अधिकार; साधन बनाम साध्य।

विकल्प: (क) यांत्रिक विध्वंस — कठोर, अमानवीय; (ख) इनकार — न्यायालय-अवमान, असंभव; (ग) विधिसम्मत निष्पादन सहित मानवीय पुनर्वास —

चयनित।

कार्रवाई: आदेश लागू करूँगा, पर पहले पुनर्वास/वैकल्पिक आवास, ट्रांज़िट शेल्टर, विद्यालय-निरंतरता, व मानसून/परीक्षा-रहित समय की व्यवस्था करूँगा। NGO, स्थानीय निकाय व **PMAY**/आवास योजनाओं से समन्वय करूँगा; उचित सूचना, गरिमामय प्रक्रिया व असुरक्षितों (वृद्ध, दिव्यांग, गर्भवती) के लिए विशेष प्रबंध सुनिश्चित करूँगा। आवश्यक हो तो न्यायालय से समय-विस्तार हेतु पुनर्वास-योजना प्रस्तुत करूँगा।

औचित्य: रॉल्स (सर्वाधिक वंचित की रक्षा), गांधी का जंतर (सबसे गरीब का कल्याण), व अरस्तू की फ्रोनेसिस (मानवीय, विधिसम्मत मध्य-मार्ग) — कानून का मानवीय ढंग से पालन। कांट की दृष्टि से परिवारों को साधन नहीं, साध्य माना जाए — अतः सूचना व गरिमा अनिवार्य। यह न तो कठोर यांत्रिकता है, न अवमान — बल्कि समानुभूतिपूर्ण दृढ़ता: कानून का पालन करते हुए, सबसे कमज़ोर की गरिमा व अस्तित्व की रक्षा। अल्पकालिक राहत (पुनर्वास) को दीर्घकालिक वैधता (विधि-शासन) से जोड़ना ही नैतिक प्रशासन है।

प्र**43.** एक **RTI** आवेदन संवेदनशील भू-अधिग्रहण निर्णय की फाइल-टिप्पणियाँ माँगता है**;** प्रकटन अधिकारियों को असहज करेगा पर जनहित में है**;** फाइल का अंश तृतीय-पक्ष का निजी डेटा छूता है। आप कैसे निर्णय लेंगे**? (250** शब्द**)**

हितधारक: आवेदक/जनता, नामित अधिकारी, तृतीय-पक्ष (निजता), संस्था की विश्वसनीयता। नैतिक मुद्दे**:** पारदर्शिता व जवाबदेही बनाम निजता/गोपनीयता; जनहित का संतुलन।

विकल्प: (क) छूट का हवाला देकर अस्वीकार — अपारदर्शी, जवाबदेही-विरोधी; (ख) पूर्ण प्रकटन — तृतीय-पक्ष निजता का उल्लंघन; (ग) पृथक्करणीयता **(severability)** सहित जनहित-अधिभावी प्रकटन — चयनित।

कार्रवाई: RTI धारा 8 व पृथक्करणीयता लागू करूँगा — केवल वैध रूप से छूट-प्राप्त तृतीय-पक्ष निजी डेटा को संपादित (redact) करूँगा, और निर्णय-प्रक्रिया का शेष अभिलेख (फाइल-टिप्पणियाँ, औचित्य) जनहित-अधिभावी के तहत प्रकट करूँगा। अधिकारियों की असुविधा प्रकटन रोकने का वैध आधार नहीं।

औचित्य: RTI का प्रयोजन जवाबदेही है (अनु. 19(1)(क)); छूटें संकीर्ण हैं और जनहित के अधीन। भू-अधिग्रहण जैसे सार्वजनिक-धन व अधिकार-प्रभावी निर्णय की पारदर्शिता विश्वास बनाती है व भ्रष्टाचार रोकती है। अधिकारियों के आधिकारिक निर्णयों की पारदर्शिता व व्यक्तियों की वैध निजता — दोनों का संतुलन पृथक्करणीयता से संभव है।

सावधानी (समसामयिक): DPDP अधिनियम **2023** की धारा **44(3)** ने धारा 8(1)(ञ) को संशोधित किया है, जिससे व्यक्तिगत-सूचना छूट व्यापक हुई — पर मेरा दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि आधिकारिक निर्णय की जवाबदेही न दबे; मैं तृतीय-पक्ष निजी डेटा संपादित कर निर्णय-तर्क प्रकट करूँगा। पारदर्शिता प्रोबिटी का संस्थागत आधार है — "सूर्यप्रकाश सर्वोत्तम कीटाणुनाशक।"

प्र**44.** भीषण गर्मी में जिले में जल-संकट है। प्रवर्तन-दल किसानों के बोरवेल-उपयोग रोक रहे हैं**,** जबकि उद्योग गहरे बोरवेल से भारी जल खींच रहे हैं। किसान प्रशासन को "किसान-विरोधी व भ्रष्ट" बताते हैं। कलेक्टर क्या करे**? (CSE 2024, 250** शब्द**)**

हितधारक: किसान, औद्योगिक श्रमिक, सामान्य जनता (पेयजल), पर्यावरण, कलेक्टर। दुविधा**:** समता व जन-विश्वास बनाम आजीविका व वैधता; प्रशासन पर भ्रष्टाचार/पक्षपात का आरोप।

कार्रवाई: (1) पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता (जीवन का अधिकार, अनु. 21) — शेष आवंटन इसके बाद। (2) समान**,** पारदर्शी नियम दोनों पर — औद्योगिक बोरवेल का तत्काल अंकेक्षण, अत्यधिक-निष्कर्षण पर समान प्रवर्तन, व जल-उपयोग डेटा सार्वजनिक करना ताकि "उद्योग-समर्थक" धारणा व भ्रष्टाचार-आरोप मिटे। (3) माँग-पक्ष उपाय — सूक्ष्म-सिंचाई, कम-जल फसल-सलाह, टैंकर-वितरण, वर्षा-जल पुनर्भरण, व औद्योगिक जल-पुनर्चक्रण अनिवार्यता। (4) किसानों से संवाद — किसान-प्रतिनिधियों के साथ बैठक, पारदर्शी मानदंड समझाना, केवल प्रवर्तन नहीं। (5) उद्योग बंद न करना (श्रमिक-बेरोज़गारी), पर उसके जल-उपयोग को कठोरता से विनियमित करना।

औचित्य: समता व समान-व्यवहार (किसान व उद्योग दोनों पर समान नियम) जन-विश्वास बहाल करते हैं; पारदर्शिता (अंकेक्षण, डेटा-प्रकाशन) भ्रष्टाचार-आरोप का सर्वोत्तम उत्तर है। पेयजल का अधिभावी कर्तव्य आजीविका से संतुलित हो — रॉल्स की दृष्टि से सबसे कमज़ोर (पेयजल से वंचित) को प्राथमिकता, पर किसान की आजीविका की भी रक्षा। यह पारस्परिक रूप से संगत हित खोजने का प्रयास है — संघर्ष को समता, पारदर्शिता व संवाद से प्रबंधित करना, न कि एक पक्ष को दंडित करना।

प्र**45.** एक वैज्ञानिक डॉ**.** श्रीनिवासन पर दबाव है कि वह नई दवा के ट्रायल में डेटा-हेरफेर करे**,** सूचित-सहमति छोड़े**,** व प्रतिद्वंद्वी का पेटेंट प्रयोग करे ताकि बाज़ार में प्रथम-प्रस्तोता लाभ मिले। वह क्या करे**? (CSE 2024, 250** शब्द**)**

हितधारक: भावी रोगी/जन-स्वास्थ्य, कंपनी, प्रतिद्वंद्वी पेटेंट-धारक, डॉ. श्रीनिवासन व उसकी टीम, नियामक। नैतिक मुद्दे**:** सत्यनिष्ठा, सूचित सहमति, वैज्ञानिक ईमानदारी व बौद्धिक-संपदा नीति बनाम वाणिज्यिक लक्ष्य व कैरियर-दबाव; डेटा-नीति व ड्रग-नीति।

कार्रवाई: डॉ. श्रीनिवासन को डेटा-हेरफेर, सहमति-त्याग व पेटेंट-उल्लंघन से स्पष्ट इनकार करना चाहिए — ये अनाटोल रेखाएँ हैं। उसे नैतिक**,** वैध ट्रायल पर बल देना चाहिए: डेटा-शुचिता, नैतिकता-समिति (IEC) निगरानी, पारदर्शी रिपोर्टिंग, व नकारात्मक परिणामों का प्रकटन। तेज़ करने हेतु वैध उपाय खोजे — अधिक संसाधन/जनशक्ति, समानांतर प्रक्रियाएँ, नियामक से संवाद, अनुकूली ट्रायल-डिज़ाइन, व अपना घटक विकसित करना। यदि प्रबंधन कपट पर बाध्य करे, तो असहमति लिखित रूप से अभिलेखित करे, उच्चाधिकारी/नैतिकता-समिति को सूचित करे, और आवश्यक हो तो भूमिका अस्वीकार करे (व्हिसलब्लोइंग अंतिम